न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /दो/2017 जिला–शिवपुरी निग-9067-I-17

बाबू पुत्र श्री श्यामा सहर
निवासी ग्राम जालिमपुर, पनिहारा, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.) – अनावेदक

द्वारा आज दि. 20.3.17 को प्रस्तुत

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 21/दो/2017 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 06.01.2017 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें जो त्रुटिवंश भूमि सर्वे नम्बर 448 रकवा 1.20 है0 का उल्लेख किया गया है जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे नम्बर 448 रकवा 1.12 है0 होना चाहिए था, इसलिए उक्त रकवा 1.20 हैक्टेयर के स्थान पर रकवा 1.12 स्थापित किये जाना आवश्यक है। (खसरे की फोटो प्रति संलग्न है)।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में उल्लेखित रकवा 1.20 है0 के स्थान पर रकवा 1.12 है0 स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 20.03.2017

निवेदक
बाबू पुत्र श्री श्यामा सहर
निवासी ग्राम जालिमपुर, पनिहारा,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध 9067–एक/17 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण कमांक निगरानी 21–दो/17 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2017 में जो निगरानी प्रस्तुत की गई थी उसमें त्रुटिवश भूमि सर्वे नंबर 448 रकवा 1.20 है0 का उललेख किया गया है जबकि वास्तविक रूप से भूमि सव्रे नंबर 448 रकवा 1.12 है0 होना चाहिये । उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि रकवा 1.20 है0 के स्थान पर रकवा 1.12 है0 स्थापित किया जाना चाहिये। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी प्र0 क0 21–दो/17 में पारित आदेश दिनांक 6.1.17 में प्रस्तुत निगरानी में तथा पारित आदेश में भूमि सर्वे न0 448 रकवा 1.20 है0 के स्थान पर 1.12 है0 पढा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	